न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट –तृतीय जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 61/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह बारेठ प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री विद्यासागर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा निवासी 13 ए शिवनगर रोड नं. 1 वीकेआई सीकर रोड, जयपुर।
2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरिशंकर अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड चौमू जिला जयपुर वाहन मालिक।

4. निर्णय दिनांक : 08.04.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री अशोक दाधीच अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) श्री सुरेन्द्र सिंह यादव अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर श्री सुरेन्द्र सिंह बारेठ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के फर्द मौका पर्चा, फर्द पूछताछ, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा तथा एफ.आई.आर. की प्रति आदि दिनांक 08.04.2008 को पेश की गई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को दिनांक 04.04.2008 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, जयपुर के निर्देशानुसार प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रुबरु मौतबिरान के श्री विद्यासागर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा निवासी 13ए शिवनगर रोड नं. 1 वीकेआई सीकर रोड के सामने, जयपुर में वाहनों में लगे गैस किटों में घरेलू गैस सिलेण्डरों से एलपीजी भरने की शिकायत के क्रम में मौके पर पंहुचा व निरीक्षण किया। मौके पर श्री विद्यासागर शर्मा द्वारा सफेद रंग की मारुति वैन आरजे–14–6सी–4313 में विद्युत चलित मोटर द्वारा एचपीसी के घरेलू गैस सिलेण्डर(14.2 किग्रा.) एसआर नम्बर 5738 पी से एक गैस पाईप एवं छोटे रेग्यूलेटर की सहायता से विद्युत चलित मोटर के माध्यम से जोडकर कार मालिक श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरिशंकर अग्रवाल की उपस्थिति में घरेलू गैस भरी जा रही थी। मोटर विद्युत चलित है, जिसमें एक तार लगा हुआ था जो श्री विद्यासागर के घर में एक प्लग में लगा हुआ था। वक्त निरीक्षण श्री विद्यासागर शर्मा मौके से भाग गया। मौके पर ही श्री विद्यासागर की पत्नि श्रीमती दुर्गा देवी एवं गवाहान की उपस्थिति में मकान नम्बर 13ए की तलाशी ली गई। तलाशी पर मकान से 3 एचपीसी, 3 इण्डेन व 1 बीपीसी कुल 7 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो विद्युत चलित मोटर पाई गई। इन 7 सिलेण्डरों में से एक एचपीसी का सिलेण्डर श्री विद्यासागर की रसोई में लगा हुआ था। वक्त निरीक्षण श्रीमती दुर्गा देवी ने घरेलू कनेक्शन के तीन उपभोक्ता कार्ड एवं एक राशनकार्ड प्रस्तुत किया। तीन में से दो उपभोक्ता कार्ड श्री विद्यासागर के नाम से एवं एक श्री अर्जुन लाल के नाम जारी था। श्री विद्यासागर द्वारा एक कनेक्शन 13ए शिवनगर पर अशोका गैस एजेन्सी एचपीसी उपभोक्ता क्रमांक 400008 दिनांक 5.11.2005 को प्राप्त किया हुआ है तथा दूसरा कनेक्शन डी 29 नया खेडा के पते पर मैसर्स निरंजन गैस एजेन्सी से उपभोक्ता क्रमांक 2236070 दिनांक 30.12.2000 को प्राप्त किया गया है एवं दोनों कनेक्शनों से गैस प्राप्त की जा रही है। इस प्रकार गलत तरीके से गलत पता दर्शाकर कनेक्शन जारी कराये गये। श्री विद्यासागर के पास तीसरा कनेक्शन उनके पडोसी श्री अर्जुन लाल के नाम प्लाट नं. 11 के नाम जारी है जिस पर भी श्री विद्यासागर द्वारा गैस सिलेण्डर प्राप्त किये जा रहें है जबकि श्री अर्जुन लाल का पिछले एक वर्ष से वहां नहीं रहना पाया गया है। श्री विद्यासागर शर्मा के पास राशनकार्ड नं. 292 उचित मूल्य दुकान सं. 290

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

जारी किया हुआ है जिस पर उसने अपने बाद में लिये गये गैस कनेक्शन का इन्द्राज नहीं कराया है एवं गलत सूचना देकर उचित मूल्य दुकान संख्या 290 से लगातार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन प्राप्त करता आ रहा है। इस प्रकार श्री विद्यासागर शर्मा द्वारा घरेलू एचपीसी सिलेण्डर से वाहन में गैस अन्तरण किया गया है, गलत पता देकर एक से अधिक गैस कनेक्शनों का अवैध रुप से उपयोग किया गया है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है जो एलपीजी (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः 7 घरेलू गैस सिलेण्डरों(14.2 किग्रा.), 3 विद्युत चलित मोटरो, रेग्यूलेटर व मारुति वैन नम्बर आरजे–14–6सी–4313 को जब्त किया गया है। उक्त जब्त सामान में से 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों, 2 मोटर पम्पों मय रबड पाईप व रेग्यूलेटर के जब्त कर श्री दुर्गा सिंह राठौड व्यवस्थापक, मैसर्स निरंजन गैस एजेन्सी जयपुर की सुपुर्दगी में दिया गया एवं शेष एक एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 मोटर पम्प मय रबड पाईप व रेग्येलूटर तथा मारुति वैन नम्बर आरजे–14–6सी–4313 को पुलिस थाना मुरलीपुरा जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर अग्रिम अनुसंधान हेतु भारसाधक पदाधिकारी को दी गई है। अतः निवेदन है कि जब्तशुदा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा.), 3 विद्युत चलित मोटरों, रबड पाईप रेग्यूलेटरों व एक मारुति वैन नम्बर आरजे–14–6सी–4313 को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि गैस सिलेण्डर ज्वलनशील और जन साधारण के उपयोग की वस्तु है। अतः उपरोक्तानुसार जब्त सामान को धारा 6अ(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त एलपीजी ज्वलनशील, क्षयशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए के तहत आदेश दिनांक 08.04.2008 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त एलपीजी का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें।

2. अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से अभिभाषकगणों ने क्रमशः 06.10.2009 व 11.06.2008 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश कर इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। परन्तु आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत आवेदन गलत, मनघडंत होने के कारण अस्वीकार है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द मौका व फर्द अधिग्रहण रिपोर्ट मनमाने तरीके से जबरन वाहन को कब्जे में लेकर बनाई गई है। मिन विपक्षी पर दबाव डालकर बयान पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं। मारुति वैन का स्वामी मिन विपक्षी नहीं है। वाहन में जो गैस किट लगा हुआ है वह आर.टी.ओ. से अनुमति प्राप्त की हुई है। वाहन का गैस किट खराब हो गया था जिसे ठीक कराने के लिये मिन विपक्षी, विपक्षी सं 1 के मकान पर पूछताछ कर रहा था। जिस पर रसद विभाग वालों को सन्देह हो जाने पर मिन विपक्षी के विरुद्ध की गई कार्यवाही मात्र मुकदमा दर्ज कराने की दृष्टि से मिन विपक्षी व वाहन को नाजायज रुप से लिप्त किया गया है इसलिये समस्त कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि कार्यवाही निरस्त की जावे एवं मारुति वेन सं. आरजे–14–6सी–4313 को राजसात न किया जावे।

4. अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से की ओर से अभिभाषकगणों के क्रमशः 06.10.2009 व 11.06.2008 को वकालतनामा पेश होने के बावजूद दिनांक 04.09.2012 तक जवाब पेश नहीं किये जाने पर अप्रार्थी के पास जब्त वस्तुओं के संधारण बाबत सम्यक जवाब नहीं पारित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

5. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से काम में लिये जा रहे

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate (III) JAIPUR

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर